न्यायालय सत्र न्यायाधीश, चन्दौली।

उपस्थितः– श्री ज्योति कुमार त्रिपाठी (एच.जे.एस.)UP05622

सत्र परीक्षण संख्या– 338/2022

राज्य प्रति राजेश यादव आदि

आरोप

मैं ज्योति कुमार त्रिपाठी, सत्र न्यायाधीश, चन्दौली,

आप अभियुक्तगणः–

1. राजेश यादव पुत्र जगन्नाथ, 2. रमेश यादव पुत्र हरि प्रसाद यादव, 3. जय प्रकाश यादव पुत्र स्व. विश्वनाथ यादव, 4. जिगाडू उर्फ नागेन्द्र यादव, 5. सन्तोष यादव पुत्र हरि प्रसाद यादव, 6. हलचल उर्फ जितेन्द्र यादव, 7. बबलू यादव पुत्र सियाराम यादव, 8. जगरनाथ यादव पुत्र स्व. सुमेर यादव, 9. जीउत उर्फ बृजेश यादव पुत्र जगरनाथ यादव,

पर निम्न आरोप लगाता हूंः–

प्रथम– यह कि दिनांक 12–06–2019 को समय 7.30 बजे ग्राम नकटी थाना बबुरी जनपद चन्दौली में आपलोगों ने पुरानी रंजिश को लेकर वादी को मारने–पीटने के आशय से लाठी–डण्डे से लैश होकर एक विधि–विरूद्ध समूह कायम किया और बल्वा किया। इस प्रकार आपलोगों ने धारा 147 भा.दं.सं. के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध कारित किया जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

द्वितीयः– यह कि उक्त तिथि, समय व स्थान पर आप लोगों ने अपने विधि–विरूद्ध समूह के सामान्य उद्देश्य की पूर्ति में वादी के पिता अशरफी यादव को लाठी–डण्डा से मारकर ऐसी प्राणघातक चोटें पहुंचायी कि दौरान इलाज उनकी मृत्यु हो गयी। इस प्रकार आप लोगों ने हत्या की कोटि में न आने वाले आपराधिक मानव वध का अपराध कारित किया जो धारा 304 सपठित धारा 149 भा.दं.सं. के अन्तर्गत दण्डनीय है तथा इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

तृतीयः–यह कि उक्त तिथि, समय व स्थान पर आपलोगों ने अपने उपरोक्त विधि–विरूद्ध समूह के सामान्य उद्देश्य की पूर्ति में वादी को घर जाते समय रास्ते में रोककर सदोष अवरोध कारित करते हुए उसे अपने घर जाने से निवारित कर दिया। इस प्रकार आपलोगों ने धारा 341 भा0दं0सं0 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध कारित किया जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

चतुर्थः–यह कि उक्त तिथि, समय व स्थान पर आपलोगों ने अपने विधि–विरूद्ध समूह के सामान्य उद्देश्य की पूर्ति में वादी के घर में घुसकर वादी तथा उसके परिवार के रिंकू देवी, विशाल यादव व उषा यादव को मारपीटकर स्वेच्छया साधारण चोटें पहुंचाया। इस प्रकार आपलोगों ने धारा 323 सपठित 149 भा0दं0सं0 के अन्तर्गत दण्डनीय है तथा इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

पंचमः–यह कि उक्त तिथि, समय व स्थान पर आपलोगों ने अपने उपरोक्त विधि–विरूद्ध समूह के सामान्य उद्देश्य की पूर्ति में वादी के घर में घुसकर गृह अतिचार किया। इस प्रकार आपलोगों ने धारा 452 भा0दं0सं0 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध कारित किया जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

षष्टमः– यह कि उक्त तिथि, समय व स्थान पर आप लोगों ने लोक शांति भंग करने को प्रकोपित करने के आशय से वादी वगैरह को भद्दी–भद्दी गालियां दिया। इस प्रकार आप लोगों ने धारा 504 भा.दं.सं. के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध कारित किया जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

सप्तम्ः– यह कि उक्त तिथि, समय व स्थान पर आप लोगों ने वादी वगैरह को जान से मार डालने की आपराधिक धमकी दिया। इस प्रकार आप लोगों ने धारा 506 (2) भा.दं.सं. के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध कारित किया जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

एतदद्वारा आपको आदेशित किया जाता है कि आपका विचारण उक्त आरोपों के अन्तर्गत इस न्यायालय द्वारा किया जायेगा।

दिनांकः–27–06–2022.

(ज्योति कुमार त्रिपाठी)
सत्र न्यायाधीश,
चन्दौली।

आरोप पढ़कर अभियुक्तगण को सुनाया व समझाया गया। अभियुक्तगण ने आरोप से इंकार किया तथा विचारण का दावा किया ।

दिनांकः–27–06–2022.

(ज्योति कुमार त्रिपाठी)
सत्र न्यायाधीश,
चन्दौली।

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, चन्दौली।

सत्र परीक्षण संख्या– 338/2022

<u>राज्य प्रति राजेश यादव आदि</u>

<u>27–06–2022</u>

पत्रावली पेश हुई। अभियुक्तगण राजेश यादव, रमेश यादव, जय प्रकाश यादव, जिगाडू उर्फ नागेन्द्र यादव, सन्तोष यादव, हलचल उर्फ जितेन्द्र यादव, बबलू यादव, जगरनाथ यादव व जीउत उर्फ बृजेश यादव अपने विद्वान अधिवक्ता सहित उपस्थित हैं। आरोप के बिन्दु पर अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता व राज्य की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) को सुना तथा प्रपत्रों का अवलोकन किया। अभियोजन ने उन साक्ष्यों का उल्लेख किया जो अभियुक्तगण के विरूद्ध सिद्ध किये जाने हैं। उक्त के आधार पर अभियुक्तगण पर धारा 147, 304 सपठित 149, 341, 323 सपठित 149, 452, 504, 506 (2) भा.दं.सं. का आरोप बनता प्रतीत होता है। तद्नुसार अभियुक्तगण पर आरोप लगाये जाने का आदेश दिया जाता है।

सेशन जज,
चन्दौली।

उपरोक्तानुसार अभियुक्तगण राजेश यादव, रमेश यादव, जय प्रकाश यादव, जिगाडू उर्फ नागेन्द्र यादव, सन्तोष यादव, हलचल उर्फ जितेन्द्र यादव, बबलू यादव, जगरनाथ यादव व जीउत उर्फ बृजेश यादव पर धारा 147, 304 सपठित 149, 341, 323 सपठित 149, 452, 504, 506 (2) भा.दं.सं. का आरोप लगाया गया जिसे उन्होने अस्वीकार किया तथा परीक्षण की इच्छा ब्यक्त की।

आरोप–पत्र के साक्षीगण तलब किये जाएं। साक्ष्य हेतु पत्रावली दिनांक 13–07–2022 को प्रस्तुत हो।

सेशन जज,
चन्दौली।